प्रकरण क्र. 08/I.D. Act/R4/2025 प्रेमलाल वर्मा विरूद्ध अडानी पॉवर लिमिटेड में पारित आदेशिका दिनांक 15/12/2025 की सत्यप्रतिलिपि

Case No. 08/I.D. Act/2025

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary
15/12/2025	प्रथमपक्ष द्वारा श्री अभिजीत सिंह तोमर अधिवक्ता उपस्थित। द्वितीयपक्ष कमांक 01 द्वारा व 02 सहित श्री मनीष व्यास अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण द्वितीयपक्ष कमांक 01 एवं 02 की ओर से प्रस्तुत आवदेन पत्र अंतर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. सहपठित धारा 10(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 वास्ते एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा/स्थगन पर आदेश हेतु नियत है। द्वितीयपक्ष कमांक 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. सहपठित धारा 10(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 वास्ते एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा/स्थगन संक्षेप में इस प्रकार है कि द्वितीयपक्ष संस्थान छत्तीसगढ राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के कार्य में संलिप्त उद्योग है तथा उत्पादित विद्युत के एक निश्चित भाग को छत्तीसगढ़ राज्य में तथा नेशनल पॉवर ग्रिड के माध्यम से गुजरात, केरल राज्य को भी उत्पादित विद्युत उपल्ध कराने के व्यवसाय में लिप्त होने से एक लोक उपयोगी सेवा दाता नियोक्ता है तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एन)(चार) के अंतर्गत आता है। साथ ही यह संस्थान कलेक्टर, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/05/2025 के तहत छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 25,26 एवं 28 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया परिसर है जिसका दायरा	Nagleswar [signature] [signature] 15/12/2025

श्रम न्यायालय क्रमांक-2 रायपुर (छ.ग.)

पीठासीन अधिकारी
औद्योगिक विवाद अधिनियम

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where necessary
	100 मीटर का है। यह संस्थान संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत पंजीकृत मुख्य नियोक्ता है एवं पंजीयन अनुसार लगभग 1700 संविदा श्रमिकों को विभिन्न अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित करता है। आवेदक संघ ने दिनांक 09/03/2025 को 16 सूत्रीय मांग की सूचना दी, जिसके संबंध में दिनांक 05/06/2025 को संराधन अधिकारी द्वारा औद्योगिक विवाद पंजीकृत करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की गई। दिनांक 27/11/2025 को संराधन कार्यवाही के असफल होने के प्रतिवेदन को समुचित सरकार को अग्रेषित किया गया, जिसके पश्चात विवाद को दिनांक 05/12/2025 को अधिनिर्णय हेतु इस न्यायालय को संदर्भित किया गया। संराधन कार्यवाही के दिनांक 27/11/2025 को असफल घोषित होते ही आवेदक संघ ने दिनांक 29/11/2025 को हडताल की सूचना जारी की। इस सूचना पर तत्काल सज्ञान लेते हुए कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त रायपुर द्वारा दिनांक 03/12/2025, 06/12/2025 एवं 07/12/2025 को सुलह बैठक आहुत की गई और दिनांक 07/12/2025 को सुलह वार्ता असफल घोषित करते हुए हड़ताल के वैधानिकता के संबंध में उत्पन्न विवाद को दिनांक 08/12/2025 को इस न्यायालय को संदर्भित किया गया । दिनांक 08/12/2025 को प्रातः 06 बजे से आवेदक संघ ने मांग सूचना दिनांक 09/03/2025 की 16 सूत्रीय मांग के संबंध में हड़ताल प्रारंभ कर दी जो वर्तमान में भी निरंतर जारी है।	

Case No. 08/ I. D. Act/2025

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary
	आवेदक एक पंजीकृत व्यवसायिक संघ है, जो अनावेदक कमांक 01 एवं 02 के संस्थान में कार्यरत ठेका श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके द्वारा भडकाने एवं उकसाने पर सभी ठेका श्रमिक एक राय होकर पॉवर एवं स्टील श्रमिक संघ छ.ग. पंजीयन कमांक 116565 के बैनर तले, श्रम न्यायालय में लंबित एवं संदर्भित प्रकरण में विद्यमान औद्योगिक विवाद, जो 14 सूत्रीय मांग के संबंध में लंबित है, के दौरान व हडताल की सूचना दिनांक 29/11/2025 के संबंध में भी सुलह बैठक् असफल होने पर दिनांक 08/12/2025 से अवैधानिक हडताल आरंभ की गई जो आज तक निरंतर है। अनावेदक कमांक 01 व 02 संस्थान छ.ग. राज्य में आवासीय, व्यवसायी तथा कृषक वर्ग को विद्युत वितरण के कार्य में अंशतः एवं गुजरात, केरल व अन्य राज्यों में नेशनल पॉवर ग्रिड के माध्यम से बिजली सप्लाई के कार्य में संलिप्त है। अनावेदक कमांक 01 व 02 संस्थान जनउपयोगी व अति आवश्यक सेवाओ की श्रेणी मे आता है तथा आवेदक व्यावसायिक संघ के द्वारा दिनांक 08/12/2025 से अवैधानिक हड़ताल के आरंभ व निरंतर होने से लगभग 1700 ठेका कर्मचारियों की अनुपस्थिति के फलस्वरूप प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को छ.ग. स्टेट पॉवर कंपनीज कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदाय की जाने वाली निरंतर एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय प्रभावित होने की पूरी संभावना है, साथ ही साथ अन्य राज्यों जिसमें गुजरात व केरल तथा नेशनल पॉवर ग्रिड	15/12/2025

न्यायाधीश
औद्योगिक विवाद अधिनियम
श्रम न्यायालय क्र. 2, रायपुर (छ.ग.)

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary
	कॉरोपोरेशन के माध्यम से विक्रय के जरिये होने वाली सप्लाई भी प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। आवेदक संघ द्वारा हडताल की सूचना दिनांक 29/11/2025 स्वयं में विधि विपरीत है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 के अनुपालन में आवेदक संघ को हडताल पूर्व 6 सप्ताह की सूचना व तत्पश्चात 14 दिन व्यतीत होने तक आवेदक संघ किसी प्रकार की हडतात करते है, तो वह धारा 22 के प्रकाश में प्रारंभ से ही अवैध हड़ताल है। अतः अनावेदक कमांक 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आवेदन स्वीकार कर आवेदक संघ द्वारा दिनांक 08/12/2025 से आरंभ व निरंतर विरोध प्रदर्शन, हडताल, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के संबंध में एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर हरताल, कर रहे कर्मियों को कार्य पर उपस्थिति देने का आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का पालन करते हुए, एकपक्षीय आदेश करने के स्थान पर प्रथमपक्ष को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया एवं प्रथमपक्ष को आवेदन के संबंध में जवाब–तर्क करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रथमपक्ष आवेदक संघ द्वारा उक्त आवदेन पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर हडताल करने, पूर्व में मांगो की सूचना देने एवं समुचित सरकार के समक्ष कार्यवाही से संबंधित तथ्यों को स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा यह	

मुख्य रूप से व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में हडताल, के संबंध में दिनांक 01/12/2025 एवं 08/12/2025 को पूर्व सूचना दी गई थी एवं दिनांक 09/03/2025 को अपनी मांगो की सूची भी दी गई थी। प्रथमपक्ष द्वारा अपनी वैद्य मांगो के लिए हडताल की जा रही है, जो विधि अनुसार उनका वैधानिक अधिकार है। अनावेदकगण द्वारा अपने आवेदन में 1700 संविदा श्रमिकों को नियोजित करने का उल्लेख किया गया है, जबकि उनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के अनुसार उनके द्वारा 11000 संविदा श्रमिकों को नियोजित किया जा सकता है, इस प्रकार उनके द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम, के प्रावधानों का उलंघन किया गया है। इस प्रकार वे स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आए है। समुचित सरकार द्वारा जिन औद्योगिक विवादों को अधिनिर्णय हेतु संदर्भित किया गया है, उसमें दिनांक 08/12/2025 से की गई हडताल सम्मिलित नही है एवं श्रम न्यायालय संदर्भ के बाहर जाकर अधिनिर्णय नही करते हैं। द्वितीयपक्ष का यह कहना पूर्णतः असत्य है कि प्रथमपक्ष की हडताल, से उनके विद्युत उत्पादन एवं वितरण जैसे कार्य असंभव हो जाएगे। द्वितीयपक्ष द्वारा अपने उत्पादन पर मात्र 300 मेगावाट विद्युत ही वितरित किया जाता है। द्वितीयपक्ष ने अपने स्थगन आवेदन में ऐसे कौई तथ्य या आंकडे प्रस्तुत नही किये है, जिनसे यह स्पष्ट हो कि 08/12/2025 से जारी हडताल से विद्युत उत्पादन एवं वितरण में बाधा उत्पन्न हुई है और जनहित प्रभावित हुआ है। कारखाने में निर्बाध रूप से कार्य हो रहा है। द्वितीयपक्ष ने हडताल के कारण उत्पादन में आई कमी से

न्यायाधीश
औद्योगिक विवाद अधिनियम
न्यायालय क्र. 2, रायपुर (छ.ग.)

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary
	संबंधित तथ्य और आंकडे तथा संविदा श्रमिकों से संबंधित उपस्थिति पंजी भी प्रस्तुत नही की है, हडताल की वैद्यानिकता जटिल प्रश्न है, जिसका निराकरण विचारण एवं साक्ष्य के आधार पर ही हो सकता है। द्वितीयपक्ष के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला नही है और न ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है, स्थगन प्राप्त नही होने से उन्हे कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 के प्रावधानो का पालन करते हुए, प्रथमपक्ष ने हडताल प्रारंभ की है। औद्योगिक विवाद नियम, 1957 के नियम 17(1) के प्रावधान आज्ञापक नही होने के कारण फार्म–एल में सूचना देना आवश्यक नही है। द्वितीयपक्ष कमांक 01 ने प्रस्तुत दस्तावेजों में जिन ठेकेदारों का उल्लेख है उनके अतिरिक्त भी अन्य ठेकेदार द्वितीयपक्ष कारखाने में नियोजित हैं, जिससे उत्पादन गतिविधि निर्बाध चल सकती है। प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष कारखाना परिसर से 100 मीटर दूर बैठ कर धरना प्रदर्शन एवं शांति पूर्वक हडताल कर रहें हैं, जिसमें श्रमिक अपनी इच्छा से शामिल हो रहें हैं। उनके द्वारा द्वितीयपक्ष संस्थान के अन्य श्रमिकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कारखाने में प्रवेश से नही रोका जा रहा हैं। मात्र इस आधार पर स्थगन प्रदान नही किया जा सकता है कि मांगों से संबंधित संदर्भ इस न्यायालय में अधिनिर्णय हेतु लंबित है। अतः द्वितीयपक्ष का स्थगन प्रदान करने संबंधि आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।	

15

Case No. 08/I.D. Act/2025/Ref.

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary

उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उनके मौखिक तर्क श्रवण किये गए।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन जवाब एवं दस्तावेजों से यह निर्विवादित हेतु प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष के नियोजन में कार्यरत संविदा श्रमिको का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन् है, जिसके द्वारा दिनांक 08/12/2025 से वर्तमान तक हडताल, की जा रही है, यह भी निर्विवादित है कि द्वितीयपक्ष संस्थान विद्युत उत्पादन एवं वितरण से संबंधित संस्थान है। यद्यपि प्रथमपक्ष ने यह व्यक्त किया है कि द्वितीयपक्ष संस्थान द्वारा अपने उत्पादन से मात्र 300 मेगावाट विद्युत का भी वितरण किया जाता है। इस संबंध में अधिनियम, की धारा 2(ढ) की परिभाषा के अनुसार द्वितीयपक्ष संस्थान निश्चित रूप से लोक उपयोगी सेवा के अंतर्गत आता है। इस संबंध में यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि दिनांक 21/11/2025 से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के स्थान पर औद्योगिक संबंध संहिता 2020 लागू हो चुका है एवं स्वयं प्रथमपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हडताल की सूचना में भी इसी नवीन संहिता का उल्लेख है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 62 में हडताल एवं तालाबंदी के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है एवं इस प्रावधान में लोक उपयोगी सेवा से संबंधित संस्थान की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, ऐसी स्थिति में सभी औद्योगिक संस्थानों में हडताल करने के पूर्व

न्यायाधीश
औद्योगिक विवाद अधिनियम
श्रम न्यायालय क्र. 2, रायपुर (छ.ग.)

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary

औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 की धारा 62 की अनिवार्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। ऐसे में इस प्रकरण में इस स्तर पर इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक नही है कि द्वितीयपक्ष संस्थान लोक उपयोगी सेवा से संबंधित है या नहीं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 23 (ख) के अनुसार श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय, अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के लंबित रहने के और एसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात दो माह के दौरान किसी भी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकार के हडताल को प्रतिषेधित किया गया हैं। नवीन औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 की धारा 62(1)(ङ) में भी यही प्रावधान किया गया है। इस प्रकार पूर्व के अधिनियम एवं वर्तमान संहिता में न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान हडताल को निषेधित किया गया।

इस न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य उत्पन्न औद्योगिक विवाद के संबंध में दो भिन्न प्रकरण समुचित सरकार पर संदर्भित किए गए हैं। हस्तगत प्रकरण दिनांक 09/12/2025 को इस न्यायालय में संस्थित हुआ है। जिसमें दिनांक 08/12/2025 से की जा रही अनिश्चित कालीन हडताल की वैद्यता एवं औचित्य के बिन्दु पर अधिनिर्णय दिया जाना है। एक अन्य प्रकरण भी इस न्यायालय में दिनांक 05/12/2025 को समुचित सरकार के संदर्भ आदेश के द्वारा संस्थित किया गया है, यह प्रकरण श्रमिक संघ द्वारा प्रस्तुत की गई 14 सूत्रीय मांगों की वैद्यता एवं औचित्य पर अधिनिर्णय दिये जाने हेतु संस्थित है। इस प्रकार यह भली–भांति दर्शित होता है कि

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary

प्रथमपक्ष संघ की 14 सूत्रीय मांगों के वैद्यता एवं औचित्य से संबंधित विवाद इस न्यायालय में लंबित है। वही इन मांगों को द्वितीयपक्ष संस्थान द्वारा पूरा नही किए जाने के कारण दिनांक 08/12/2025 से प्रथमपक्ष संघ द्वारा की जारी अनिश्चित कालीन हडताल की वैधानिकता एंव औचित्य से संबंधित विवाद भी इस न्यायालय में लंबित है। प्रथमपक्ष द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि श्रम न्यायालय को संदर्भ किए गए बिन्दुओं पर ही अधिनिर्णय प्रदान करना होता है, श्रम न्यायालय संदर्भ आदेश को बिन्दुओं से बाहर अधिनिर्णय करने हेतु अधिकृत नही होते। इस प्रकरण में अधिनिर्णय हेतु संदर्भित बिन्दु में हडताल के वैधानिकता का ही उल्लेख है वही अन्य प्रकरण में श्रमिक संघ की 14 सूत्रीय मांगों की वैधानिकता का निर्धारण प्रमुख बिन्दु है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रमिकों की मांगों की वैधता एवं मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 05/12/2025 से प्रारंभ हुई, अनिश्चित कालीन हडताल की वैधता, दोनो ही बिन्दु इस न्यायालय को अधिनिर्णय हेतु संदर्भित किए गए हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य के विवाद का निराकरण प्रकरण में संपूर्ण साक्ष्य के आभाव में संभव नही है। इस न्यायालय में प्रथमपक्ष संघ की मांगों की वैधानिकता का प्रकरण भी लंबित है। दोनो ही पक्षों ने एक दूसरे के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे में प्रकरण के इस स्तर पर बिना साक्ष्य के यह नही माना जा सकता कि कोई प्रथमदृष्टया मामला द्वितीयपक्ष संस्थान के पक्ष में नही है। प्रथमपक्ष ने अपनी मांग सूचना मे दिनांक

न्यायाधीश
औद्योगिक विवाद अधिनियम
श्रम न्यायालय क्र. 2, रायपुर (छ.ग.)

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary
	01/01/2025 से विभिन्न लाभ प्राप्त करने की मांग रखी है। ऐसे में यदि न्यायालय द्वारा इनकी मांगों को वैद्य पाया जाता है तो संभवतः उन्हे कोई आर्थिक क्षति नही होगी इसके विपरीत यदि द्वितीयपक्ष संस्थान प्रथमपक्ष की हडताल को अवैध प्रमाणित करने में सफल रहा तो संस्थान के श्रमिकों को आर्थिक हानि का सामना करना पडेगा, जबकि यदि वर्तमान हडताल को अस्थाई रूप से निषेधित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रथमपक्ष संघ से जुड़े कर्मकारों को उनके वेतन एवं मजदूरी की हानि नही होगी। इस प्रकार प्रकरण के इस स्तर पर सुविधा का संतुलन द्वितीयपक्ष संस्थान के पक्ष में होना प्रतीत हो रहा है। द्वितीयपक्ष संस्थान की ओर से अपने तर्क के दौरान व्यक्त किया कि उनके संस्थान के द्वारा नेशनल पॉवर ग्रिड के माध्यम से गुजरात एवं केरल राज्य को भी विद्युत उपलब्ध कराई जाती है, श्रमिकों की हडताल, के कारण दिनांक 08/12/2025 के उपरांत विद्युत उत्पादन कम होने से उनके द्वारा पूर्व अनुसार नेशनल पॉवर ग्रिड को विद्युत सप्लाई नही की जा रही है, जिससे नेशनल पॉवर ग्रिड पर अनावश्यक लोड पड रहा है। नेशनल पॉवर ग्रिड पर निरंतर लोड पडने विद्युत संकट उत्पन्न होने के आशंका है। द्वितीयपक्ष संस्थान के द्वारा दिनांक 05/12/2025 से 11/12/2025 के विभिन्न शिफ्ट में कर्मचारियों की उपस्थिति की संख्या की जानकारी दी है, जिसके अनुसार दिनांक 05/12/2025 एवं 06/12/2025 को लगभग 1300 से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति दर्शित हो रही है। वही दिनांक	

Case No. 08/I.D. Act/2025/Ref

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary

08/12/2025 को कुल 141, दिनांक 09/12/2025 को कुल 123, दिनांक 10/12/2025 को कुल 126, दिनांक 11/12/2025 को कुल 99, कर्मचारी उपस्थित होना दर्शित हो रही है। अनावेदक संस्थान से जुड़े विभिन्न ठेकेदार की ओर से स्थानीय पुलिस थाने को दिए गए कुछ आवेदन भी संलग्न किए गए हैं जिसमे उन लोगों को कार्य पर जाने से रोकने एवं डराने-धमकाने की शिकायतें उल्लेखित है। इस प्रकार इन सभी परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए यह भी प्रतीत होता है, प्रथमपक्ष संघ द्वारा की जा रही हडताल को अंतरिम रूप से निषेधित नही किये जाने से जन सामान्य को एवं द्वितीयपक्ष संस्थान को अपूर्णीय क्षति होने की आशंका से इंकार नही किया जा सकता है।

इस प्रकरण में दोनो ही पक्षों ने एक दूसरे के विरूद्ध मामले संदर्भ आदेश के माध्यम से संस्थित किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में इन मामलों के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। प्रकरण में यह स्पष्टया दर्शित है कि द्वितीयपक्ष संस्थान विद्युत उत्पादन एवं वितरण के कार्य में संलग्न है और उनके द्वारा छत्तीसगढ़, केरल एवं गुजरात राज्य में विद्युत प्रदान की जा रही है। स्वयं प्रथमपक्ष ने अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है। ऐसे में इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता कि प्रथमपक्ष संघ के द्वारा अनिश्चित काल तक अपनी मांगों के लिए हडताल, करने से द्वितीयपक्ष संस्थान द्वारा किये जा रहे, विद्युत उत्पादन एवं वितरण के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जबकि इन मांगों की वैधानिकता तथा इन मांगों के संबंध

न्यायाधीश
औद्योगिक विवाद अधिनियम
श्रम न्यायालय क्र. 2, रायपुर (छ.ग.)

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary
	में की जा रही हडताल की वैधानिकता से संबंधित प्रश्न भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः इस प्रकरण में औद्योगिक संस्थान के विद्युत उत्पादन एवं वितरण मे संलग्न संस्थान होने के तथ्य तथा उभयपक्ष द्वारा श्रमिक संघ की मांगों की वैधानिकता एवं की जा रही हडताल की वैधानिकता का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष लंबित रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, प्रथमपक्ष संघ द्वारा की जा रही हडताल को अस्थाई रूप से निषेधित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। अतः द्वितीयपक्ष कमांक 01 एवं 02 की ओर से दिनांक 10/12/2025 को प्रथमपक्ष की हडताल के संबंध में अंतरिम स्थगन प्रदान किए जाने संबंध में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि प्रथमपक्ष संघ के श्रमिकों द्वारा दिनांक 08/12/2025 से प्रारंभ अनिश्चित कालीन हडताल को आज दिनांक से छः माह तक के लिए या आगामी आदेश तक के लिए निषेधित किया जाता है। प्रथमपक्ष संघ आज दिनांक से आगामी छः माह तक या इस संबंध में आगामी आदेश तक, अपनी इस प्रकरण से संबंधित वर्तमान 14 सूत्रीय मांगो के संबंध में द्वितीयपक्ष संस्थान में किसी भी प्रकार की हडताल, कार्य बहिष्कार, सामूहित अवकाश या अन्य किसी प्रकार कार्य में बाधा उत्पन्न नही करेंगें। उभयपक्ष इस न्यायालय में लंबित अपने अपने प्रकरणों का तत्परता के साथ निराकरण कराने में सहयोग करेंगें तथा प्रकरण में किसी प्रकार के अनावश्यक स्थगन	

Case No. 08/ I.D. Act/2025

Date of order Or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature parties or pleaders where neccessary
	की मांग नही करेंगें। प्रथमपक्ष की हडताल को अंतरिम स्थगन आज दिनांक से छः माह की अवधि तक या न्यायालय के आगामी आदेश तक ही मान्य होगा।	
	प्रकरण में अब द्वितीयपक्ष के दावा अभिकथन पर प्रथमपक्ष संघ का जवाब लिया जाना आवश्यक है।	
	अतः प्रकरण दावा अभिकथन पर जावाब हेतु नियत किया जाता है। प्रथमपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी तिथि पर अपना जवाब आवश्यक रूप से प्रस्तुत क्रें।	
	प्रकरण दावा अभिकथन पर जवाब हेतु 02/01/2026	
	(उमेश कुमार उपाध्याय) पीठासीन अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिकरण श्रम न्यायालय क्र. 2, रायपुर (छ.ग.)	

TRUE COPY

Assistant Superintendent Labour Court No. 02 Raipur (C.G.)